

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची कार्यालय आदेश

रिट याचिका W. P. (S) No. 638/2024, पशुपति कुमार सिंह एवं अन्य - वनाम - राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 14.06.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक रां0 270, दिनांक 08.05.2024 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, राँची की अध्यक्षता में दिनांक 27.05.2024 को जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में रावसराममति से लिए गए निर्णयानुसार एवं सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर प्रतिशपथ पत्र के अनुसार सूची में अंकित ग्रेड - 5 में कार्यरत शिक्षकों को उनके विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रधानाध्यापक (ग्रेड - 7) के वेतनमान में प्रोन्नति शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है ।

W. P. (S) No. 638/2024, पशुपति कुमार सिंह एवं अन्य - वनाम - राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 14.06.2024 को पारित न्यायादेशका अनुपालनीय अंश निम्नवत है :-

"Under such circumstances, I hereby direct the Respondents particularly, Respondent No. 4, to consider the cases of Petitioners for issuance of promotion letter to the post of Headmaster.

Let it be made clear that since the cases of Petitioners have already been considered by the District Education Establishment Committee, letter to that effect shall be issued and they may be suitably posted by issuance of appropriate orders regarding their promotion and posting.

Let the entire exercise be completed within a period 12 weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

With the aforesaid observations and directions the Writ Petition stands allowed."

उपरोक्त न्यायादेश के अनुपालन में सूची में अंकित निम्नलिखित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक (ग्रेड- 7) के पद पर प्रोन्नति के उपरान्त उनके नाम के सामने अंकित राजकीयकृत मध्यविद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रोन्नति के उपरान्त पदस्थापित विद्यालय एवं प्रखण्ड
1.	श्री पशुपति कुमार सिंह, स.शि.	रा.म.वि. हलमाद, सिल्ली	रा.म.वि. कांटाटोली राँची - 1
2.	श्री दिनेश प्रसाद केशरी, स.शि.	रा.म.वि. महुगांव खास, लापुंग	रा.म.वि. चुटिया, राँची-2
3.	श्री प्रदीप कुमार भगत, स.शि.	रा.म.वि. जाराडीह, अनगडा	रा.म.वि. बुढमू, राँची
4.	श्री संजय कुमार, स.शि.	रा.म.वि. मालसिरिंग, कांके	रा.म.वि. चान्हो, मुख्यालय,
5.	श्री कृष्णा शर्मा, स.शि.	रा.म.वि. हरजिन, तमाड़, तमाड़	रा.म.वि. चतरा, अनगडा
6.	श्री कमर जिया, स.शि.	रा.म.वि. मतवे उर्दू, बुढमू	रा.म.वि. बड़गाई, उर्दू, राँची- 1
7.	श्री आनन्द कुमार लाल, स.शि.	राजकीयकृत म.वि. पीरुटोला, कांके	रा.म.वि. बरियातु, राँची - 1
8.	श्री बिजेन्द्र कुमार चौबे, स.शि.	रा.म.वि. बेड़ो- 1	रा.म.वि. बुनियादी, नामकुम
9.	श्री श्याम कुमार, स.शि.	रा.म.वि. बजरा, राँची-1	रा.म.वि. रातुराज, रातु

१५

क्र०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रोन्नति के उपरान्त पदस्थापित विद्यालय एवं प्रखण्ड
10.	श्री विनय कुमार जायसवाल, स.शि.	रा.म.वि. दलकीडीह, बुण्डू	रा.म.वि. अभ्यासिक, बुण्डू
11.	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, स.शि.	रा.म.वि. हिन्दी कन्या पहाड़ीटोला, राँची - 1	रा.म.वि. मुडमा, नगड़ी
12.	श्री संतोष कुमार महतो, स.शि.	रा.म.वि. बुरुडीह, तमाड़	रा.म.वि. हरिजन, तमाड़
13.	श्री सुधांशु रंजन प्रमाणिक, स.शि.	रा.म.वि. कल्याणपुर, राँची - 2	रा.म.वि. ग्राम विकास, सिल्ली
14.	श्री घनश्याम ओझा, स.शि.	रा.म.वि. हिन्दी बालक पहाड़ीटोला, राँची - 1	रा.म.वि. नगड़ी, राँची
15.	श्रीमती कुसुम कुमारी, स.शि.	रा.म.वि. ओल्ड एसटी, धुर्वा, राँची - 2	रा.म.वि. कल्याणपुर, राँची- 2
16.	श्री अनिल कुमार गुप्ता, स.शि.	रा.म.वि. बी.एम.पी. डोरण्डा, राँची - 2	रा.म.वि. बड़गावां, नामकुम
17.	श्रीमती कांति तिर्की, स.शि.	रा.म.वि.जरिया, बेड़ो	रा.म.वि. सोसई आश्रम, माण्डर
18.	श्री मुकेश कुमार शर्मा, स.शि.	रा.म.वि. चडरी, राँची - 1	रा.म.वि. रातु बालिका, रातु
19.	श्री भूषण प्रसाद, स.शि.	रा.म.वि. एदलहातु, बुण्डू	रा.म.वि. राहे सोनाहातु-1
20.	श्री दिनेश प्रसाद, स.शि.	रा.म.वि. नावागढ़, अनगड़ा	रा.म.वि. सुकुरहुटु, कांके
21.	श्री अशोक प्रसाद सिंह, स.शि.	रा.म.वि. पंडरा, राँची- 1	रा.म.वि. कुम्हरिया, कांके
22.	श्री मनोज कुमार, स.शि.	रा.म.वि. करकरी, बेड़ो- 1	रा.म.वि. पिर्रा, कांके
23.	श्री शिव प्रसाद महतो, स.शि.	रा.म.वि. बुढ़ाडीह, बुण्डू	रा.म.वि. लापुंग, लापुंग
24.	श्री वेद प्रकाश, स.शि.	रा.म.वि. एडचोरो, नगड़ी	रा.म.वि. हरमू हाउसिंग, रातु
25.	श्री राजेश कुमार, स.शि.	रा.म.वि. पुण्डीदिरी, तमाड़	रा.म.वि. बोड़ेया, कांके
26.	श्री विमलेश कुमार मिश्रा, स.शि.	रा.म.वि. हिन्डू यूनाईटेड, राँची- 2	रा.म.वि. चकला, ओरमांझी
27.	श्रीमती पुष्पा रानी, स.शि.	रा.म.वि. काटमकुल्ली, कांके	रा.म.वि. लक्ष्मी गजेन्द्र, इटकी
28.	श्री प्रशांत कुमार दत्ता, स.शि.	रा.म.वि. गड़गांव, बेड़ो	रा.म.वि. बांकु, सोनाहातु - 2
29.	श्री साजिद इकबाल, स.शि.	रा.म.वि. मुड़मा, नगड़ी	रा.म.वि. चर्च रोड उर्दू, राँची-2
30.	श्री नसीम अहमद, स.शि.	रा.म.वि.बरियातु, राँची-1	रा.म.वि. ओमांझी बालक, ओरमांझी
31.	श्री राकेश मिश्रा, स.शि.	रा.म.वि. ओल्डएसटी, धुर्वा, राँची- 2	रा.म.वि. बिजुलिया, रातु
32.	श्री शेखर कुमार झा, स.शि.	रा.म.वि. परमवीर अल्बर्ट एक्का, राँची-2	रा.म.वि. बी.एम.पी. डोरण्डा, राँची-2
33.	श्री दीपक कुमार चौधरी, स.शि.	रा.म.वि. पुन्दाग, रातु	रा.म.वि. बेड़ो बालक, बेड़ो
34.	श्री प्रेम कुमार, स.शि.	रा.म.वि. हेसालौंग, बुढमू	रा.म.वि. चडरी, राँची- 1
35.	श्री मो० हसन, स.शि.	रा.म.वि. कुम्हरिय, कांके	रा.म.वि. तेतरी, नामकुम
36.	श्री इम्तियाज अहमद, स.शि.	रा.म.वि.टाटी सिंगारी, अनगड़ा	रा.म.वि. चिलदाग, अनगड़ा
37.	श्री उमेश कुमार सिंह, स.शि.	रा.म.वि. पंडाडीह, सोनाहातु- 2	रा.म.वि. टिकराटोली, नगड़ी
38.	श्री अनिल कुमार राय, स.शि.	रा.म.वि. पिर्रा, कांके	रा.म.वि. ललगुटुवा, नगड़ी
39.	श्री अरुण कुमार भारद्वाज, स.शि.	रा.म.वि. टांगरबसली, माण्डर	रा.म.वि. एदलहातु, बुण्डू

उपर्युक्त शिक्षक/शिक्षिका 01 सप्ताह के अंदर नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

मे

शर्त :-

1. उपर्युक्त प्रोन्नत शिक्षकों को उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रोन्नत पद का वेतनमान एवं वित्तीय लाभ देय होगा ।
2. संबंधित शिक्षक का प्रधानाध्यापक के पद पर विद्यालय में योगदान के पूर्व जिला शिक्षा अधीक्षक, कार्यालय, राँची में इस आशय का शपथ पत्र जमा करना होगा कि अगर उनके द्वारा ली गयी प्रोन्नति में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो वैसी स्थिति में प्रोन्नत वेतनमान का लाभ एकमुश्त सरकारी कोष में चालान के माध्यम से जमा कर देंगे ।
3. संबंधित प्रोन्नत प्रधानाध्यापक की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने की स्थिति में दी गई प्रोन्नति तत्काल रद्द करते हुए नियमानुकूल वैधानिक कार्रवाई के साथ राशि वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।
4. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भविष्य में किसी प्रकार का कोई विपरीत न्यायादेश पारित किये जाने की स्थिति में यह प्रोन्नति प्रभावित होगी ।
5. जिला लेखा पदाधिकारी, राँची कार्यालय के द्वारा वेतन निर्धारण के सत्यापनोपरांत ही प्रोन्नत वेतनमान देय होगा ।
6. प्रोन्नति प्राप्त शिक्षक अपने जिम्में का सम्पूर्ण प्रभार सौंपने के पश्चात् ही अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नवपदस्थापित विद्यालय में बिरमन/योगदान कर सकेंगे ।
7. संबंधित शिक्षक के माह जुलाई 2024 का वेतनादि का भुगतान नव पदस्थापित विद्यालय से देय होगा ।

Ms
08/7/24
जिला शिक्षा अधीक्षक
राँची

उप विकास आयुक्त
राँची

ज्ञापांक :- 1685...../राँची, दिनांक 08-07-24...../

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित शिक्षक/शिक्षिका/संबंधित क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक, राँची- 1 एवं 2/संबंधित निकासी एवं सभी व्ययन पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी, राँची /डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

Ms
08/7/24
जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची